International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 237-244

कुशलगढ़ चीफशिप में राजनैतिक जनजागृति एवं प्रजामण्डल आन्दोलन

डॉ. रश्मि मीणा*

प्रस्तावना

कुशलगढ़ चीफशिप, बांसवाड़ा राज्य के दक्षिण–पूर्व में स्थित आदिवासी भील बाहुल्य क्षेत्र था, जिसकी स्थापना 1654 ई. (वि.सं. 1711) में अखैराज जी द्वारा, 'कुशला भील' (जो कि उनके हाथों मारा गया था) के नाम पर की गई थी। जबकि बांसवाड़ा राज्य के दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है कि बांसवाड़ा राज्य के तत्कालीन शासक कुशलसिंह जी द्वारा भीलों से यह प्रदेश छीनकर, उनके द्वारा अखैराज जी को इनाम के रूप में यह प्रदेश प्रदान किया था।[1]

'चीफशिप' बनने से पूर्व (वर्ष 1869 से पहले) कुशलगढ़ ठिकाना, बांसवाड़ा राज्य का प्रथम वर्ग (सोलह) का 'ताज़ीमी' ठिकाना था। कुशलगढ़ चीफशिप के स्वामी 'रामावत राठौड़' थे। उन्हें बांसवाड़ा राज्य की ओर से 'तांबेसरा' जागीर का पट्टा भी प्राप्त था।[2] कुशलगढ़ ठिकाने द्वारा बांसवाड़ा राज्य को 550 रूपये वार्षिक 'टंका' (ट्रिब्यूट) दिया जाता था। कुशलगढ़ को रतलाम राज्य की ओर से भी 60 गांव जागीर में मिले हुए थे। जिसके बदले वह रतलाम राज्य को 600 रूपये वार्षिक 'नजराना' देते थे। जोधपुर के सुप्रसिद्ध शासक राव जोधा के एक पुत्र वरसिंह जी के द्वितीय पुत्र आसकरण जी को बादशाह औरंगजेब के द्वारा कुशलगढ़ की जागीर प्रदान की गई थी।[3] वरसिंह जी के ज्येष्ठ कुंवर सीहाजी के वंशजों ने झाबुआ पर शासन किया। अतः कुशलगढ़ और झाबुआ के मध्य 'भाईबन्दी' का रिश्ता था। आसकरण जी के पौत्र रामसिंह जी के तेरह पुत्र थे, जो 'रामावत राठौड़' कहलाए। रामसिंह जी के तृतीय पुत्र जसवन्त सिंह जी उनकी मृत्योपरान्त कुशलगढ़ ठिकाने के स्वामी बनें। तत्पश्चात् क्रमशः अखैराज जी, अज़बसिंह जी, कीरतसिंह जी, दलेसिंह जी, केसरीसिंह जी, अचलसिंह जी, भगवानसिंह जी व जालमसिंह जी कुशलगढ़ ठिकाने के शासक बनें। ठाकुर जालमसिंह जी को मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह जी द्वारा 1783 ई. (वि.सं. 1840) में 'राव' का खिताब देकर सम्मानित किया गया था। जिससे उनके वंशजों की उपाधि 'राव' हुई।[4] बांसवाड़ा राज्य के साथ कुशलगढ़ ठिकाने के निरन्तर विवाद चलते रहे। परिणामस्वरूप वर्ष 1869 कुशलगढ़ ठिकाने को सीधे 'पॉलिटिकल एजेन्ट' (मेवाड़) के अन्तर्गत ले लिया गया एवं कुछ विशेष अवसरों, यथा–बांसवाड़ा के महारावल की गद्दीनशीनी, कुंवर एवं कुंवरियों के विवाह अवसरों आदि पर कुशलगढ़ के 'राव' की उपस्थिति की अनिवार्यता तथा बांसवाड़ा राज्य को वार्षिक खिराज (टंका) देने के अतिरिक्ति कुशलगढ़ ठिकाने का बांसवाड़ा राज्य से कोई संबंध नहीं रह गया।[5] अब कुशलगढ़ ठिकाना सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया तथा दिनांक 1 अगस्त, 1869 से 'चीफशिप' कहलाने लगा। परन्तु धीरे–धीरे कुशलगढ़ चीफशिप पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ता गया तथा दिनांक 25 सितम्बर, 1936 को 'कुप्रशासन' के आरोप लगाकर तत्कालीन राव रणजीतसिंह जी को कुशलगढ़ से निर्वासित कर दिया गया[6] तथा वहां एक 'कामदार' (मैनेजर) नियुक्त कर दिया गया, जो कि 'रेजीडेन्ट' (मेवाड़ राज्य) और 'पॉलिटिकल एजेन्ट' (सदर्न राजपूताना स्टेट्स) के निर्देशन में कार्य करते थे।

वस्तुतः कुशलगढ़ चीफशिप भील बाहुल्य क्षेत्र था। यहां की प्रशासनिक रिपोर्ट्स में उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार कुशलगढ़ चीफशिप में 257 गांव स्थित थे, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 16,222 थी। इनमें से लगभग 11,538 (कुल जनसंख्या का लगभग 71 प्रतिशत) आदिवासी भील थे।[7] वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार कुशलगढ़ चीफशिप की कुल जनसंख्या 35,564 थी, जिसमें से

* सह आचार्य, इतिहास विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

आदिवासी भीलों की जनसंख्या 29,985 थी। वर्ष 1941 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 41,153 थी, जिसमें से 34,841 आदिवासी भील थे। वर्ष 1936 से 1941 के पांच वर्षों की अवधि में 'चीफशिप' का औसत राजस्व (आय) 150093 रुपये एवं औसत कुल व्यय 138909 रुपये था।

ये आदिवासी भील गरीब एवं अशिक्षित थे तथा जीवन निर्वाह के लिए मुख्य रूप से जंगलों से प्राप्त होने वाले पशुचारा, ईंधन के लिए लकड़ियां, शहद, कन्दमूल–फल इत्यादि पर निर्भर थे। ये पहाड़ियों की तलहटियों में कृषि कार्य करते थे। परन्तु धीरे–धीरे चीफशिप प्रशासन द्वारा विभिन्न कानून बनाकर चीफशिप के 'जंगलों' पर राजकीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया तथा इन जंगलों के 'ठेके' बाहरी ठेकेदारों (विलायती) को दिए जाने लगे, जो कि इन जंगलों से – बांस, 'महुआ के फूल' एवं 'महुआ डोली' आदि वन उत्पादों को एकत्रित कर इनका व्यापार करते थे। 'महुआ के फूल' मुख्य रूप से शराब बनाने के काम आते थे। स्थानीय आदिवासी भील घरेलू उपयोग हेतु इन महुआ उत्पादों का प्रयोग करते थे। बाहरी ठेकेदारों द्वारा इन आदिवासी भीलों पर कठोर अत्याचार किए जाते थे। धीरे–धीरे नियम बनाकर यहां के स्थानीय निवासियों पर भी 'वन उत्पादों' का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इनके क्षेत्रों में पुलिस चौकियों की स्थापना से भी ये भील आदिवासी बहुत असन्तुष्ट थे। राजकीय कर्मचारियों द्वारा भी इन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। वर्ष 1936 में कुशलगढ़ चीफशिप के राव रणजीतसिंह जी को यहां से धारंग्र (इन्दौर) भेज दिया गया तथा अब कुशलगढ़ चीफशिप की सम्पूर्ण प्रशासनिक शक्तियां, 'कामदार' (मैनेज़र, कुशलगढ़) के माध्यम से 'पॉलिटिकल एजेन्ट' (मेवाड़ एण्ड सदर्न राजपूताना, उदयपुर) के हाथों में केन्द्रित हो गई। इन बाहरी ठेकेदारों, राजकीय कर्मचारियों, महाजनों, पुलिस इत्यादि द्वारा इन आदिवासी भीलों पर अत्यधिक अत्याचार किए जाते थे। इन्हें अपमानित एवं प्रताड़ित किया जाता था। 'बेगार' द्वारा इनका गंभीर शोषण किया जाता था। पेयजल, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं से ये सर्वथा वंचित थे। दस्तावेजों में कई ऐसे उद्धरण मिलते हैं जब पहाड़ी क्षेत्रों में कुशलगढ़ चीफशिप एवं बांसवाड़ा राज्य के मध्य की 'अचिन्हित सीमाओं' के आसपास निवास करने वाले भीलों को छोटे–छोटे कारणों, यथा–'घास काटने' अथवा 'ईंधन के लिए लकड़ियां एकत्रित' कर लेने पर उन्हें दोनों पक्षों की 'पुलिस एवं वन अधिकारियों' एवं 'ठेकेदारों' द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था तथा भारी जुर्माना अदा करने पर ही छोड़ा जाता था। इन भील आदिवासियों द्वारा 'वन उत्पादों' का प्रयोग कर लेने पर इन्हें 'डकैत' घोषित कर दिया जाता था।

कुशलगढ़ चीफशिप की 'प्रशासनिक रिपोर्ट्स' में स्पष्टतः वर्णित है कि ये आदिवासी भील कृषक परम्परागत तरीकों से ही कृषि कार्य करते थे एवं मुख्यतः लकड़ी से निर्मित कृषि उपकरणों का ही प्रयोग करते थे। जिससे कृषि उत्पादन बहुत ही कम होता था। परन्तु कुशलगढ़ चीफशिप के प्रशासन द्वारा इन्हें उन्नत कृषि के तरीके सिखाने, कृषि उपयोग सम्बन्धी आवश्यक उन्नत खाद–बीज़, कृषि उपकरण आदि उपलब्ध करवाने एवं सिंचाई की सुविधाओं का विकास इत्यादि के लिए कभी भी सार्थक प्रयास नहीं किए गए तथा इनकी स्थिति पूर्ववत् ही बनी रही। गरीबी एवं अशिक्षा के कारण ये 'अन्धविश्वासों' में जकड़े रहे तथा 'ठेकेदारों', 'महाजनों', 'जागीरदारों' एवं 'राजकीय कर्मचारियों' द्वारा निरन्तर इनका शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता रहा। इस संदर्भ में कुशलगढ़ चीफशिप द्वारा वर्ष 1934 में पारित "महुरा फूल अधिनियम', 1934 (IX) (Mahura Flower Act, (IX of 1934) का उल्लेख करना आवश्यक है जिसके अनुसार 'कुशलगढ़ चीफशिप में महुआ के फूल इकट्ठे करने, कब्जे में रखने, बेचने एवं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या भेज़ने पर रोक' लगा दी गई।[8] वस्तुतः यह 'अधिनियम' यहां के स्थानीय आदिवासी भीलों द्वारा घरेलू उपयोग के लिए भी 'वन उत्पादों' के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पारित किया गया था। इस 'अधिनियम' के अनुसार 'अब 'चीफशिप' में निवासरत कोई भी व्यक्ति 5 सेर से अधिक 'महुआ के फूल' अपने पास नहीं रख सकेगा, लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार के अतिरिक्त अन्य किसी से उसका क्रय–विक्रय नहीं करेगा अन्यथा 'आबकारी थानेदार', 'पुलिस थानेदार' तथा 'कस्टम नाकेदार' द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था तथा 'न्यायालय' द्वारा उसे दंडित किया जा सकता था।' परिणामस्वरूप अब किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी।[9]

राजपूताना के अन्य भागों में राजनैतिक चेतना के प्रचार प्रसार का प्रभाव कुशलगढ़ चीफशिप पर भी पड़ा। यहां राजनैतिक चेतना के प्रसार में श्री डाडमचन्द डोषी की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने अपने मित्र झब्बालाल कावड़िया, भंवरलाल निगम, उच्छवलाल मेहता, एवं वर्द्धमान गादिया के साथ मिलकर वर्ष 1944 में यहां 'प्रजामण्डल' की स्थापना की।[10] 'प्रजामण्डल' के माध्यम से इन्होंने एक ओर यहां की जनता को नागरिक अधिकार और अनिवार्य सुविधाएं दिलवाने हेतु आन्दोलन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रौढ़ पाठशालाएं और चलते–फिरते दवाखाने शुरू करवाए। साथ ही सहकारी समितियों तथा नगर पालिकाओं को विकसित एवं संगठित करने का काम हाथ में लिया।[11] इससे पूर्व श्री डाडमचन्द डोषी झाबुआ राज्य की राज़कीय सेवा में थे। परन्तु इसका हृदय सदैव ही राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रहा। झाबुआ राज्य से निर्वासित राष्ट्रवादी नेताओं श्री कन्हैयालाल वैद्य, बालेश्वरदयाल 'मामाजी' एवं भूपेन्दनाथ त्रिवेदी को अपने घर में शरण देने पर श्री डोषी को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय उन्होंने दोहद (गुजरात) जिले के गांव–गांव में घूमकर गांधी जी का संदेश 'करो या मरो' पहुंचाया तथा 'कलेक्टरेट' पर तिरंगा झण्डा फहराया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 महीने की जेल एवं 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की जेल की अतिरिक्त सज़ा भोगनी पड़ी।[12] इस दौरान ये साबरमती जेल में रहे, जहां श्री गुलजारी लाल नन्दा, अशोक मेहता एवं विष्णुभाई से इनका सम्पर्क हुआ। सजा पूरी करने के पश्चात् ये लगभग 6 महीने तक 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी के सानिध्य में सेवाग्राम आश्रम में रहे। तत्पश्चात् ये कुशलगढ़ आ गए तथा आदिवासी क्षेत्रों में जनजागृति लाने के लिए 'जलधर' और 'खैराबरी' ग्राम में दो स्कूल प्रारम्भ किए।[13] शिक्षा के साथ–साथ उन्होंने यहाँ पर 'रचनात्मक कार्यों' का भी संचालन एवं प्रचार–प्रसार किया। वर्ष 1944 में 'प्रजामण्डल' की विधिवत् स्थापना हो जाने के पश्चात् इनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों में ओर अधिक तीव्रता आई। वर्ष 1946 में इन्होंने हरिज़न उद्धार का कार्य अपने हाथ में लिया तथा 'अस्पृश्यता निवारण' की दिशा में बहुत कार्य किया। वर्ष 1946 में श्री पन्नालाल त्रिवेदी भी कलकत्ता से कुशलगढ़ आ गए तथा उन्हें 'प्रजामण्डल' का 'अध्यक्ष' बनाया गया। वर्ष 1948 में जब कुशलगढ़ में लोकप्रिय मंत्रिमण्डल बना तब श्री भंवरलाल निगम एवं श्री वर्द्धमान गादिया 'मंत्री' बनाए गए।[14] श्री डोषी ने कुशगलढ़ में 'गांधी आश्रम' की स्थापना की तथा दोहद के कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री सुखदेव काका के हाथों उसका शिलान्यास करवाया। इसके साथ ही एक 'खादी केन्द्र' भी प्रारम्भ किया गया।[15]

कुशलगढ़ प्रजामण्डल के अन्य सक्रिय कार्यकर्त्ता थे – श्री झब्बालाल कावड़िया, श्री उच्छवलाल मेहता, श्री भंवर लाल निगम, श्री वर्द्धमान गादिया, श्री पन्नालाल त्रिवेदी, श्री भैरूलाल जी तलसेरा, श्री खेमराज श्रीमार, श्री कन्हैयालाल जैन, श्री रामपाल सोनी, श्री कन्हैयालाल मेहता, श्री बापूलाल लखावत, श्री कांतिलाल शाह, श्री पन्नालाल शाह, श्री शान्तीलाल सेठ, श्री गुमान लखावत, श्री सुजानमल शाह, श्री किशनलाल डोषी, श्री शोभागमल डोषी, श्री शंकरदेव पंजाबी, श्री नाथाभाई भामर, श्री धावर भाई सार, श्री हड़ियाभाई बड़वास, श्री बरसीगभाई सुनारिया, श्री नाथूकेहरी सबलपुरा एवं श्री कमजीभाई संदलाई, इत्यादि।[16]

कुशलगढ़ चीफशिप के दस्तावेजों में भील आदिवासी किसानों की एक अन्य संस्था 'किसान सभा' का उल्लेख भी मिलता है। इन दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 9 दिसम्बर,1946 को 'किसान सभा' (कुशलगढ़) की कार्यकारिणी समिति द्वारा, मैनेज़र (कुशलगढ़ चीफशिप) के माध्यम से 'पॉलिटिकल एजेंट' (मेवाड़ एण्ड सदर्न राजपूताना स्टेट्स, उदयपुर) को पत्र लिखकर निवेदन किया गया कि दिनांक 9 दिसम्बर,1946 को आयोजित भील किसानों (किसान सभा) की सामान्य बैठक में 'मैनेजर' (कुशलगढ़ चीफशिप) के उदारवादी कार्यों की सराहना की गई, यथा– 'राजकीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप अब वे इन भील किसानों से रिश्वत नहीं मांगते हैं, 'चीफशिप' से बाहर से 'खाद्यान्नों' का आयात करके चीफशिप में ने केवल खाद्यान्नों की कमी को पूरा किया गया अपितु बिना कोई अतिरिक्त शुल्क ('वदी') लिए भील किसानों को 'तकावी ऋणों' के अन्तर्गत बीज भी उपलब्ध करवाए गए।'[17] 'मैनेजर' (कुशलगढ़) के उक्त जनहित के कार्यों के लिए 'किसान सभा' द्वारा आभार प्रकट किया गया तथा यह अनुरोध किया गया कि –

- "भीलों की भलाई–बुराई सोचने वाली 'किसान सभा' के अलावा कोई संस्था नहीं है। इसलिए 'किसान सभा' को कुशलगढ़ राज्य के भीलों की एक 'प्रतिनिधि संस्था' के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जा सकता है।
- हम भील प्रज़ा, व्यापारियों के नाज़ायज़ लेनदेन से तंग आ चुके हैं। अतः हम दोनों (भील प्रजा एवं कुशलगढ़) की सहुलियत के लिए 'रून राहत कानून' (भील किसानों को ऋणग्रस्तता से राहत दिलाने सम्बन्धी कानून) लागू किए जाएं, जैसे कि झालोद एवं झाबुआ आदि में लागू हैं।
- 'स्टेट' में संचालित ग्राम पाठशालाओं को 'किसान सभा' की देखभाल में देने की कृपा करें और स्कूलों को मामूली औषधी भी देवें। स्कूल अध्यापकों को कुछ 'भत्ते' (Allowances) भी दिए जावें।
- किसानों को आज से चार साल पहले, (वर्ष 1943 में) जंगल की जो 'सहुलियतें' थीं, वे पुनः दी जावें।
- किसान सभा के कार्यकर्त्ताओं को एक रुपये की कोर्ट फीस लेकर 'मुख्तयार' (किसान सम्बन्धी विवादों की पैरवी) करने की अनुमति प्रदान की जाए।"[18]

इस प्रार्थना–पत्र पर तीता अर्जुन (अध्यक्ष, किसान सभा), कन्हैया लाल (सचिव, किसान सभा), श्यामलाल व्यास (स्कूलों के निरीक्षक, किसान सभा) धीरजी (उपाध्यक्ष, किसान सभा), शंकरलाल आर्य (प्रचार सचिव, किसान सभा) एवं सादिय (मालपाड़ा, तड़वी) के हस्ताक्षर थे तथा लक्ष्मण काचू दामर, दिता विरा भाभर, दारहिंग हिंगजी, अब्जी रावल भूरिया, फात्ता रावल, माना रावल, मेवजी रावल, नरजी माला, वरसिंग मोती भाभर, तेज़ा काला कटारा, वालिंग नागजी, होमजी मोगजी दामर, मकना गमना खादिया, सरदार मोती, लाला हिंगजी, सोनिया भूरा दामर, मालिया काला, कटारा, मानालाल काला कटारा, जेटा जाला, माना मोगा दामर एवं अन्य 204 भील किसानों के अंगूठे के निशान (Thumb Impression) थे।[19]

'मैनेजर' (कुशलगढ़ चीफशिप) द्वारा, दिनांक 25 जनवरी,1947 को उक्त पत्र 'पॉलिटिकल एजेन्ट' (मेवाड़ एण्ड सदर्न राजपूताना एजेन्सी) को प्रेषित करते हुए, उपरोक्त संदर्भ में लिखा कि – "किसान सभा के भील किसानों से दिनांक 28 दिसम्बर, 1946 को सम्पन्न वार्तालाप द्वारा उन्हें यह समझा दिया गया है कि 'रून राहत कानून' बनाने सम्बन्धी 'साहित्य' आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्रामीण स्कूलों के संचालन का उत्तरदायित्व 'किसान सभा' को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पास इस कार्य हेतु उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। वे इस बात से सहमत भी हो गए। उनके 'वन अधिकारों' की मांग के सन्दर्भ में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संक्षेप में, भील किसान चाहते है कि 'जंगल सम्बन्धी उत्पादों' का ठेका न दिया जाए तथा उन्हें ही 'वन कर' चुकाने के उपरान्त वनोत्पादों का विक्रय करने का अधिकार प्राप्त हो। अतः 'किसान सभा' के प्रतिनिधियों को सन्तुष्ट करने के लिए मेरे (मैनेजर) द्वारा राजस्व अधिकारी (जो कि इस समय 'वन अधिकारी' के रूप में भी कार्यरत थे) को यह आदेश दिया गया है कि 'वन कर' चुकाने के पश्चात् वह भील किसानों को 'बांस' (Bamboo) का निर्यात करने की अनुमति प्रदान करे। 'वन सलाहकार' द्वारा अनुरोध किया गया है कि बांसवाड़ा राज्य के अनुरूप ही कुशलगढ़ के लिए नए वन कानून बनाए जाएं। 'किसान सभा' के एक रुपये कोर्ट स्टाम्प फीस के मुद्दे पर 'रून राहत कानून' के साथ ही विचार किया जाएगा।"[20] उक्त विवरण से स्पष्ट है कि भील किसानों की प्रतिनिधि संस्था 'किसान सभा' भी यहां निवासरत भीलों की स्थिति सुधारने एवं उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निरन्तर प्रयासरत थी।

दिनांक 3 जुलाई, 1947 को 'कुशलगढ़ राज्य प्रज़ामण्डल' के प्रधानमंत्री ने 'मैनेज़र' (कुशलगढ़ चीफशिप) को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि दिनांक 15 अगस्त, 1947 को 'भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह' के शुभ अवसर पर 'चीफशिप' के सभी राजकीय भवनों पर तिरंगा झण्डा फहराया जाए, 15 अगस्त को 'अवकाश' घोषित किया जाए, सभी राजकीय भवनों में 'रोशनी' (Illumination) की जाए तथा कुशलगढ़ के केन्द्रीय कारागृह में सज़ायाफ्ता कैदियों को '15 अगस्त' को रिहा किया जाए। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों, यथा – 'झंण्डावंदन', 'प्रभातफेरी जुलूस', 'सार्वजनिक सभाओं के आयोज़न' एवं 'संगीतवादन' का कार्यक्रम तय

किया गया है। उपरोक्त सन्दर्भ में 'चीफशिप' के समस्त राजकीय अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों एवं 'स्काउट' के छात्रों को निर्देशित किया जाए कि वे इन कार्यक्रमों में भागीदारी निभांए। यह अपेक्षित माना जा रहा है कि कुशलगढ़ चीफशिप के श्रीमान राव जी साहब इस अवसर पर कुशलगढ़ पधारेंगे। 'आपसे' (मैनेज़र) से भी अनुरोध है कि आप इस अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित हों। इस अवसर पर श्रीमान रावजी साहब कुशलगढ़ की प्रजा को कुछ उपयोगी संदेश दे सकते हैं।"[21] 'कुशलगढ़ प्रजामण्डल' द्वारा निम्नलिखित सुझाव भी प्रस्तुत किए गए –

- हमेशा के लिए प्रतिवर्ष 15 अगस्त को 'चीफशिप' में राजकीय अवकाश रखा जाए,
- यदि राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एवं छात्र, 'प्रज़ामण्डल' (कुशलगढ़) द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों में सम्मिलित हों तो, कुशलगढ़ चीफशिप प्रशासन को इसमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए,
- 'तिरंगा झण्डा' कुशलगढ़ चीफशिप के 'झण्डे' के साथ फहराया जा सकता है,
- 'चीफशिप' के राजकीय भवनों को प्रतिवर्ष इस अवसर पर 'रोशनी' से जगमगाया जाए,
- प्रज़ामण्डल द्वारा आयोजित किए जाने वाले इन कार्यक्रमों के संचालन में यहां के छात्रों एवं 'स्काउट्स' को सहयोग करने की अनुमति दी जाए,
- कुशलगढ़ चीफशिप की जनता को उक्त आयोजनों में सम्मिलित होने, 'स्वतंत्रता दिवस समारोह' मानने तथा अपने घरों को 'रोशनी' से सजाने हेतु, 'चीफशिप' प्रशासन की ओर से सूचित किया जा सकता है,
- प्रतिवर्ष 15 अगस्त को कुछ सजायाफता कैदियों को रिहा किया जा सकता है,
- कुम्हारों को मिट्टी के दिये बनाने हेतु विशेष निर्देश दिए जा सकते हैं,
- मंदिरों में 'रात्री जागरण' (Night Prayers) के आयोजन हेतु 'चीफशिप' को ओर से कुछ आर्थिक सहयोग किया जा सकता है,
- जागीरदारों एवं तहसीलदारों को अपने–अपने क्षेत्रों में आगामी 15 अगस्त को 'स्वतंत्रता दिवस समारोह' मनाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। इस हेतु तहसीलदारों को कुछ राशी जारी का जा सकती है।
- 'चीफशिप' के बाहर से भी 'राष्ट्रीय झण्डे' की खरीदारी की व्यवस्था भी की जा सकती है।[22]

कुशलगढ़ राज्य प्रजामण्डल द्वारा यह अनुरोध भी किया गया कि इस अवसर पर केन्द्रीय कारागृह में सजा काट रहे कैदियों की रिहाई अत्यन्त महत्वपूर्ण है एवं इस सन्दर्भ में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने सम्बंधी आयोजन) दिनांक 10 अगस्त, 1947 तक 'मैनेजर' (कुशलगढ़ चीफशिप) द्वारा उन्हें आवश्यक रूप से इस पत्र का उत्तर दिया जाए।

इसी संदर्भ में दिनांक 2 अगस्त, 1947 को समाचार पत्र 'दी टाइम्स ऑफ इण्डिया' में 'Persons To be Reileasee' शीर्षक से 'सी.पी. सरकार का आदेश' (नागपुर, 30 जुलाई, 1947) प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार – 'मध्यप्रान्त सरकार (The Government of the Central Provinces) द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के ऐतिहासिक अवसर पर कुछ कैदियों को रिहा करने एवं कुछ अन्य कैदियों को सज़ा में विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है। आज जारी बयान में कहा गया है कि – 'वे सभी कैदी, जिन्हें 10 साल से कम की सज़ा मिली हो तथा वे अपनी आधी सज़ा काट चुके हों, को इस अवसर पर रिहा कर दिया जाए तथा 10 साल से अधिक कारावास की सज़ा प्राप्त उन कैदियों को भी रिहा किया जा सकता है, जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की सजा काट ली हो।"[23]

इस संदर्भ में 'मैनेजर' (कुशलगढ़ चीफशिप) द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 1947 को 'पॉलिटिकल एजेंट' (मेवाड़ एण्ड सदर्न राजपूताना स्टेट्स, उदयपुर), लेफिटनेंट कर्नल जी.क्रिकब्रिज को पत्र लिखकर निवेदन किया

गया कि "दिनांक 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रान्तों में 'स्वतंत्रता दिवस समारोह' मनाया जाएगा। कुशलगढ़ की प्रज़ा भी यह चाहती है कि अन्य प्रान्तों के समान ही कुशलगढ़ 'चीफशिप' में भी यह समारोह मानाया जाए तथा इस हेतु 'चीफशिप' की तरह से कुछ व्यय भार वहन किया जाए। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं–

सारणी 1 : स्वतंत्रता दिवस समारोह (15 अगस्त, 1947) के अवसर पर प्रस्तावित व्यय की मदें।[24]

क्रं. सं.	विवरण	अनुमानित खर्च (रूपये में)
1	महल, 'ठिकाने' के भवनों (पुलिस स्टेशन, जेल, अस्पताल, स्कूल, न्यायालय एवं जिले में स्थित अन्य भवन इत्यादि) की रोशनी की व्यवस्था	250/–
2	राष्ट्रीय ध्वज एवं सजावट इत्यादि का सामान	300/–
3	कुशलगढ़ एवं अन्य जिलों में स्थित लगभग 600 स्कूलों के बच्चों को, 4 छटांक प्रति बच्चे के हिसाब से मिठाइयों का वितरण	400/–
4	धन्यवाद प्रस्तावित दिन के अवसर पर मंदिरों में 'प्रसाद' का वितरण	150/–
5	गरीबों को वस्त्रदान	300/–
6	गरीबों को भोजन देने	300/–
7	कैदियों को भोजन देने	50/–
कुल		**1750/– रूपये**

इस सन्दर्भ में 'मैनेजर' (कुशलगढ़ चीफशिप) द्वारा उपरोक्त व्यय हेतु 'चीफशिप' के बजट से धन उपलब्ध करवाने हेतु अनुमति मांगी गई तथा दिनांक 2 अगस्त, 1947 में 'दी टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार, कुशलगढ़ केन्द्रीय कारागृह में कैद कुल 30 कैदियों में से 5 कैदी अभी रिहा किए जाने तथा 2 कैदी 'महाराज कुंवर' (हरेन्द्रसिंह जी) की छोटी रानी साहिबा द्वारा आगामी कुछ दिनों में ही 'संतान' को जन्म देने के अवसर पर छोड़ने का सुझाव दिया गया।[25]

प्रधानमंत्री, कुशलगढ़ राज्य प्रजामण्डल के दिनांक 3 अगस्त, 1947 को प्राप्त पत्र संख्या 109 के अनुसार किए गए निवेदनों के संदर्भ में 'मैनेजर' (कुशलगढ़ चिफशिप) द्वारा निम्नलिखित सहमति दी गई –

- "दिनांक 15 अगस्त, 1947 को 'जमातुलविदा' के अवसर पर पूर्व निर्धारित राजकीय अवकाश ही रहेगा।
- 'संविधान सभा' द्वारा स्वीकृत 'राष्ट्रीय झण्डे' को राजकीय भवनों पर फहराने पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी तथा इस हेतु आवश्यक बजट भी स्वीकृत किया जा चुका है।
- 'राजकीय अधिकारी आवश्यक समझे तो वे उक्त 'समारोह' में सम्मिलित हो सकते हैं।
- 'मेरे' (मैनेजर) द्वारा, जनता की इच्छानुसार कुछ समारोहों में भाग लेने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर 'रावजी' के कुशलगढ़ पधारने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
- राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों द्वारा 'समारोह' में सम्मिलित होने पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।
- 'राजकीय भवनों पर 'राष्ट्रीय झण्डा' फहराने एवं 'रोशनी' करने पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। इस हेतु कुछ 'राशि' भी स्वीकृत कर दी गई है।
- कुम्हारों को सूचना एवं निर्देश दे दिए जाएंगे।
- 'स्वीकृति' मिलने पर 'चीफशिप' के बजट से 'रात्री जागरण' (छपहीज च्तंलमते) हेतु आवश्यक राशी स्वीकृत कर दी जाएगी।"[26]

- 'मैनेजर' (कुशलगढ़ चीफशिप) द्वारा 'पॉलिटिकल एजेंट' (मेवाड़ एण्ड सदर्न राजपूताना एजेंसी) से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त संदर्भ में 'टेलीग्राम' द्वारा उन्हें 10 अगस्त, 1947 तक आवश्यक आदेश जारी कर सूचित किया जाए ताकि इस संदर्भ में सभी व्यवस्थाएं की जा सकें। 'पॉलिटिकल एजेंट' द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 1947 को प्रेषित 'टेलीग्राम' द्वारा 'मैनेजर' (कुशलगढ़ चीफशिप) को निर्देश दिए गए कि उनके प्रेषित पत्र क्रमांक 4425/951 (दिनांक 4 अगस्त,1947) के संदर्भ में प्रस्तावित 'राशि' की स्वीकृति 'राव' (कुशलगढ़) से प्राप्त की जाए।[27]

दिनांक 15 अगस्त, 1947 को भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ तथा रियासतों के एकीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ। इसी क्रम में दिनांक 18 अप्रैल, 1948 को बांसवाड़ा राज्य के साथ–साथ कुशलगढ़ चीफशिप का विलय भी 'संयुक्त राजस्थान' में कर दिया गया।[28] राव हरेन्द्रसिंह जी का प्रीवीयर्स रूपये 34,775/– वार्षिक निर्धारित किया गया। दिनांक 21 फरवरी,1967 को राव हरेन्द्रसिंह जी का निधन हो गया एवं दिनांक 30 मई, 1967 को उनकी छोटी रानी के पुत्र राजकुमार मानवेन्द्रसिंह जी को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया तथा उनके पिता के लिए निर्धारित प्रीवीयर्स की राशि, रूपये 34,775/– वार्षिक उन्हें दिए जाना निश्चित हुआ (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (22) एवं अनुच्छेद 291 के अनुसार)[29] राव मानवेन्द्रसिंह जी ने अपनी सौतेली माता (राव हरेन्द्रसिंह जी की प्रथम पत्नी राजमाता श्रीमती जयवन्त कुमारी जी को उनके गुज़ारा भत्ता (Maintenance) हेतु 300 रूपये प्रतिमाह का आजीवन भुगतान करना भी स्वीकार किया।[30]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. 'इम्पीरियल गेजेटीयर ऑफ इंडिया, *प्रोवींशियल सीरीज–राजपूताना,* बुक ट्रेज़र (पुनर्मुद्रित), जोधपुर, 2007, पृ. 153
2. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द : *बांसवाड़ा राज्य का इतिहास,* राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 1998, पृ. 228
3. 'नेरेटिव्स ऑफ नेटिव स्टेट्स एण्ड चीफशिप्स इन राजपूताना', फाइल नं. 301–303, (अगस्त, 1902), इंटरनल–बी, फॉरेन डिपार्टमेंट, 'अभिलेख पटल' (ऑनलाईन पोर्टल), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पृ. 27
4. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द : *बांसवाड़ा राज्य का इतिहास,* राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 1998, पृ. 230
5. पूर्वोक्त, ओझा, गौरीशंकर हीराचंद : *बांसवाड़ा राज्य का इतिहास* पृ. 176
6. 'रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कुशलगढ़ चीफशिप फ्रॉम 25 सितम्बर, 1936 टू 26 सितम्बर, 1937' (फाइनेंशियल ईयर ऑफ द चीफशिप), फाइल नं. 1–2, 1943, मेवाड़ रेजीडेन्सी, उदयपुर, 'अभिलेख पटल' (ऑनलाईन पोर्टल) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पृ. 19
7. 'इम्पीरियल गेजेटीयर ऑफ इंडिया, प्रोवींशियल सीरीज–राजपूताना', बुक ट्रेज़र, जोधपुर (पुनर्मुद्रित), 2007, पृ.152
8. 'महुरा फ्लॉवर्स ऐक्ट (प) ऑफ, 1920' (कलेक्शन, पज़ेशन, सेल एण्ड ट्रांसपोर्ट), राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी–रेजीडेन्सी, मेवाड़ रेजीडेंसी, फाइल नं. 31/1935, 'अभिलेख पटल' (ऑनलाईन पोर्टल) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पृ. 46
9. वही, पृ. 38
10. जोशी, सुमनेश : *राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी,* ग्रंथागार, नारनोली भवन, जयपुर, पृ. 521
11. वही, पृ. 521
12. वही, पृ. 521
13. वही, पृ. 522

14. पानगड़िया, बी.एल : *राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम,* राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, (10वां संस्करण), 2007, पृ. 108

15. वही, पृ. 108

16. पूर्वोक्त, जोशी, सुमनेशः *राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी,* पृ. 522

17. 'एक्टिविटीज ऑफ किसान सभा इन दी कुशलगढ़ चीफशिप', 'महकमा खास' फाइल नं. 21–02–1947, मेवाड़ रेजीडेन्सी (उदयपुर), राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी रिकॉर्ड्स, 'अभिलेख पटल' (ऑनलाईन पोर्टल), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पृ. 6

18. वही, पृ. 4–13

19. मैनेज़र (कुशलगढ़) द्वारा पॉलिटिकल एजेन्ट (मेवाड़ एण्ड सदर्न राजपूताना स्टेट्स, उदयपुर) को दिनांक 25 जनवरी, 1947 को प्रेषित पत्र, 'महकमा खास' फाइल नं. 21–02.1947, मेवाड़ रेजीडेन्सी 'अभिलेख पटल' (ऑनलाईन पोर्टल), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली पृ. 2–3

20. 'प्रधानमंत्री' (कुशलगढ़ राज्य प्रजामण्डल) द्वारा 'मैनेजर' कुशलगढ़ चीफशिप को प्रेषित पत्र संख्या 109, दिनांक 3 अगस्त, 1947, फाइल नं. 18–14 / 1946 'बजट्स ऑफ कुशलगढ़ सेंग्शन फॉर दी एक्सपेंडीचर फ्रॉम बजट (महकमा खास), मेवाड़ रेजीडेन्सी (उदयपुर) 'अभिलेख पटल' (ऑनलाईन पोर्टल), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पृ. 56

21. वही, पृ. 57

22. 'दी टाइम्स ऑफ इण्डिया', दिनांक 2 अगस्त, 1947, फाइल नं. 18–14 / 1946 'बजट्स ऑफ कुशलगढ़ सग्ंशन फॉर दी एक्सपेंडिचर फ्रॉम बज़ट (महकमा खास)' मेवाड़ रेजीडनेसी (उदयपुर), 'अभिलेख पटल' (ऑनलाईन पोर्टल), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पृ. 55

23. 'मैनेजर' (कुशलगढ़) द्वारा 'पॉलिटिकल एजेन्ट' (मेवाड़ एण्ड सदर्न राजपूताना स्टेट्स, उदयपुर) को प्रेषित पत्र, दिनांक 4 अगस्त, 1947, फाइल नं. 18–14 / 1946 'बजट्स ऑफ कुशलगढ़ चीफशिप, सेंग्शन फॉर दी एक्सपेंडीचर फ्रॉम बजट्स (महकमा खास), मेवाड़ एजेन्सी 'अभिलेख पटल' (ऑनलाईन पोर्टल), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पृ. 52

24. वही, पृ. 53

25. वही, पृ. 54

26. वही, पृ. 54

27. 'स्टेट ऑडिनरी टेलीग्राम' नं. 4883 / डेटेड़ 8 अगस्त, 1947 उदयपुर (फ्रॉम पॉलिटिकल एजेंट टू 'मैनेजर' कुशलगढ़)', फाइल नं. 18–14 / 1946, 'बजट्स ऑफ कुशलगढ़ चीफशिप, सेंग्शन फॉर दी एक्सपेंडीचर फ्रॉम बजट्स (महकमा खास), मेवाड़ एजेन्सी 'अभिलेख पटल' (ऑनलाईन पोर्टल), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पृ. 58

28. पानगड़िया, बी. एल. *राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम,* राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2007 (10वां संस्करण), पृ. 168

29. 'भारतीय राजपत्र', भाग प्प खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रकाशित संख्या 10 / 03 / 67 – पॉलिटिकल प्प्, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (दिनांक 30 मई, 1967), पृ. 42

30. वही, पृ. 46.

❖◆❖